रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226783
CG-DL-E-27042021-226783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943
No. 239] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2021

सं. 28/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 297 (अ).—जहां कि यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीन तेइपेई और संयुक्त अरब अमीरात (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट (टीडीआई), जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2929 10 20 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/43/2019-डीजीटीआर, दिनांक 4 सितम्बर, 2020, जिसे 4 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड-I में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने प्राथमिक निष्कर्षों में विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 43/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 2 दिसम्बर, 2020 जिसे

सा.का.नि 748 (अ) दिनांक 2 दिसम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 2 दिसम्बर, 2020 से उक्त विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था ।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/43/2019-डीजीटीआर, दिनांक 28 जनवरी, 2021, जिसे दिनांक 28 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने दिनांक 4 सितम्बर, 2020 के अंतिम निष्कर्षों में, अपने प्राथमिक निष्कर्षों की अभिपुष्टि करते हुए, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(i) विषयगत देशों से भारत को प्रश्नगत उत्पाद का निर्यात बहुत सस्ते मूल्य पर किया गया;

(ii) पिछले वर्ष की तूलना में जांच अवधि के दौरान विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के आयात में निरपेक्ष रूप से और भारत में इसके उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी काफी वृद्धि हुई है;

(iii) इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iv) यह सारवान क्षति विषयगत देश से होने वाले विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतत्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविश्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्सम्बन्धी प्रविश्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर, कॉलम (7) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	**टैरिफ मद**	**वस्तु का विवरण**	**मूलत: उत्पादन का देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**शुल्क की राशि**	**इकाई**	**मुद्रा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	कोवेस्त्रो ड्यूटच्लैंड ए जी	221.04	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
2.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	बोरसोडकैम जेडआरटी	102.05	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर

3.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	उक्त क्रम संख्या 1 एवं 2 में दिए गए उत्पादकों से इतर कोई भी उत्पादक	264.96	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
4.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	264.96	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
5.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सादरा केमिकल कंपनी	217.55	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
6.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	उक्त क्रम संख्या 5 में दिए गए उत्पादकों से इतर कोई भी उत्पादक	344.33	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
7.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी	344.33	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
8.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	चीन तेइपेई	चीन तेइपेई सहित कोई भी देश	कोई भी	274.39	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
9.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश	चीन तेइपेई	कोई भी	274.39	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर
10.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा	संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब अमीरात	कोई भी	368.20	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर

		80:20 अनुपात में हो		सहित कोई भी देश				
11.	29291020	टॉलूईन डाईआइसोसाइनेट(टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 अनुपात में हो	जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लागू होता है उनसे इतर कोई भी देश	संयुक्त अरब अमीरात	कोई भी	368.20	मेट्रिक टन	अमेरिकी डालर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख, अर्थात 2 दिसम्बर, 2020 से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. 354/150/2020-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2021

No. 28/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 297(E).—Whereas, in the matter of 'Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2929 10 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* notification No. 6/43/2019-DGTR, dated the 4th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th September, 2020, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries.

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods with effect from 2nd December, 2020 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 43/2020-Customs (ADD), dated the 2nd December, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 748(E), dated the 2nd December, 2020.

And, whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/43/2019-DGTR, dated the 28th January, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th January, 2021, while confirming the preliminary findings, dated the 4th September, 2020, has come to the conclusion that-

i) the product under consideration that has been exported to India from the subject countries are at dumped prices;

ii) there is substantial increase in imports of subject goods from the subject countries in absolute terms as well as in relation to its production and consumption in India, during the period of investigation as compared to the previous year;

iii) the domestic industry has suffered material injury;

iv) material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries;

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Duty amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	European Union	Any country including European Union	Covestro Deutschland AG	221.04	MT	USD
2	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	European Union	Any country including European Union	Borsod Chem Zrt	102.05	MT	USD
3	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	European Union	Any country including European Union	Any other producer other than S.No. 1 & 2 above	264.96	MT	USD
4	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Any country other than countries attracting ADD	European Union	Any	264.96	MT	USD
5	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	217.55	MT	USD
6	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Any other producer other than S.No. 5 above	344.33	MT	USD

7	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Any country other than countries attracting ADD	Saudi Arabia	Any	344.33	MT	USD
8	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Chinese Taipei	Any country including Chinese Taipei	Any	274.39	MT	USD
9	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Any country other than countries attracting ADD	Chinese Taipei	Any	274.39	MT	USD
10	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	United Arab Emirates	Any country including United Arab Emirates	Any	368.20	MT	USD
11	29291 020	Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20	Any country other than countries attracting ADD	United Arab Emirates	Any	368.20	MT	US$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 2nd December, 2020, and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No. 354/150/2020-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.27 21:52:54 +05'30'